आधारभूत संरचना सिद्धांत पर मैट्स लॉ स्कूल का वेबिनार आयोजित

रायपुर। मैट्स यूनिवर्सिटी के मैट्स स्कूल लॉ द्वारा रेस पब्लिकेशन लॉ एंड सोसाइटी, दिल्ली के सहयोग से 'बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत' (आधारभूत संरचना सिद्धांत) विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। रेस पब्लिकेशन लॉ एंड सोसाइटी, दिल्ली लगभग 17 वर्ष प्राचीन संस्था है, जिसकी शुरुआत कुमुद लता दास ने किया था। कार्यक्रम में विधि विभाग के डॉ प्यालि चटर्जी ने भी अपने विचार व्यक्त किया। वेबिनार के मुख्य वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जनहित याचिका के विशेषज्ञ अशोक पांडा और न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे थे। न्यायमूर्ति ताररकुंडे 70 के दशक में मानवाधिकार आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में स्वर्गीय अशोक श्रीवास्तव के साथ कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जैन हवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी मदद की है। न्यायमूर्ति विट्ठल महादेव तारकुंडे ने सफल अधिवक्ता और सम्मानित जज होने के बाद अपना सारा जीवन आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को समर्पित कर दिया। इस वेबिनार में मैट्स लॉ स्कूल के

सैकड़ों छात्र और सहायक प्रोफेसर उपस्थित थे। व्याख्यान के दौरान 20 मिनट का प्रश्न और उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें बीए/बीबीए. एलएलबी और एलएलबी के छात्रों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। लॉ स्कूल के विद्यार्थियों शाना हॉफमैन, हरिशरण द्विवेदी, आकाश शर्मा, मोहित परिहार और वेदप्रकाश ने विद्वान अतिथियों के साथ विमर्श किया एवं आधारभूत संरचना सिद्धांत के विकास से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे।